न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

पीठासीन अधिकारी:– डॉ0कृति व्यास , उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा

प्रकरण संख्या–84 / 2025 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा.ले.रे.एक्ट

1. प्रभुलाल पिता बालू बलाई, जाति बलाई, उम्र 60 वर्ष, निवासी ग्राम बड़ौदिया, तहसील रावतभाटा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. लालीबाई पुत्री बालू बलाई, जाति बलाई, उम्र 60 वर्ष, निवासी ग्राम बड़ौदिया, तहसील रावतभाटा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

......प्रार्थीगण

विरूद्ध

1. नंदलाल राठौर पिता का नाम मालूम नहीं, निवासी निचलागढ़, ग्राम भैंसरोड़गढ़, तहसील रावतभाटा, जिला जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. अशोक बंजारा पिता गौरू बंजारा, जाति बंजारा, निवासी ग्राम डाबी, तहसील तालेड़ा, जिला बूंदी, राजस्थान।
3. जरिये श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार साहब रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

...........विपक्षीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित :– **श्री अर्जुन सिंह**

अप्रार्थीगण की ओर से :– **अप्रार्थीगण सं. 01 व 02 एकतरफा**

अप्रार्थीगण सं. 03 पेरोकार सरकार।

दिनांक:– 30.03.2026

–:आदेश:–

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया हैं कि ग्राम धांगड़मउखुर्द, प0ह0 धांगड़मउकलां तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसका खाता संख्या 162 खसरा संख्या 931 कुल किता 01 रकबा 1.0800 हैक्टेयर कुल लगानी 4.3200 पै0 जो भूमि प्रार्थीगणगण के नाम पूर्ण हिस्सा खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड हैं ।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र द्वारा निवेदन किया कि खसरा संख्या 931 के पड़ौसी खातेदार व प्रार्थीगण के बीच कृषि आराजीयात पर फसल बुवाई और फसल कटाई को लेकर व पास मेब के बाडे में फसल को रखने को लेकर व आये दिन मेड, घास फुस को काटने व सीमाओं को लेकर विवाद होता रहता है। प्रार्थीगण ने निवेदन किया हैं कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराये जावे। प्रार्थीगण की ओर से आराजीयात जैर बहस की नकल जमाबंदी एवं नक्शा ट्रैस प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थीगण को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया– प्रार्थीगण उक्त आराजीयात जैर बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार निहित है।

पत्रावली पर अप्रार्थीगण पेरोकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र पर सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली में उभय पक्ष की बहस सुनी। पत्रावली पर उभय पक्ष को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया।

प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–128 रा.ले.रे. एक्ट को स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रावतभाटा को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि कि ग्राम धांगड़मउखुर्द, प0ह0 धांगड़मउकलां तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसका खाता संख्या 162 खसरा संख्या 931 कुल किता 01 रकबा 1.0800 हैक्टेयर कुल लगानी 4.3200 पै0 जो भूमि प्रार्थीगण के नाम पर खातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिकेन मुकदमा को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार बिना कब्जे में दखल दिये नपती की जाकर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी की जावे एवं मौके पर कोई विवाद हो तो पुनः न्यायालय में पेश करें। पर्चा मौका एवं मौका ट्रैस 15 योम में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे। कमिश्नर फीस 1000/–रूपये अक्षरे एक हजार रूपये प्रार्थीगण से वसूल किये जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जा.दी. दायरी रजिस्टर नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

यह निर्णय आज दिनांक 30.03..2026 को खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़